छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 432/2007</u>

श्री राकेश मिश्रा,
दुर्गाजी मंदिर के पास, इस्पात नगर,
रिसाली, भिलाई–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग
जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 28 सितम्बर 2007)

श्री राकेश मिश्रा के द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा पत्र दिनांक 26–02–2007 से जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग से 03 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के द्वारा पत्र दिनांक 06–03–2007 को सूचित किया कि माँगी गई जानकारी संकलित करने के लिये प्राथमिक शालाओं, पूर्व माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं से जानकारी एकत्रित करना होगी, जिस पर कि 70,750/–रुपये की राशि व्यय होगी, यह राशि आवेदक के द्वारा जमा कराये जाने पर जानकारी एकत्रित कर उपलब्ध कराई जावेगी। आवेदक ने शिकायत की कि जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के ही पास है, अतः निःशुल्क जानकारी उसे प्रदान कराई जावे।

2/ आयोग के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया तथा आवेदक एवं जन सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तर्कों पर विचार किया गया। जन सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि आवेदक के द्वारा विभाग के अधीन दंपत्ति शिक्षक/कर्मचारी के पार्टफाईनल/अस्थाई अग्रिम भुगतान के स्वीकृत आवेदनों की छायाप्रति, दंपत्ति कर्मचारी के विभाग की सूची एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के नोटशीट की छायाप्रति माँगी थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि उक्त जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती, क्योंकि किस कर्मचारी के पति अथवा पत्नी कहाँ कार्यरत हैं, उसकी जानकारी विभाग में रखने का प्रावधान नहीं है। सेवा पुस्तिका में ही व्यक्तिगत जानकारियाँ रहती हैं। माँगी गई जानकारी संग्रहित कर देने के स्वरूप की है, अतः उक्त जानकारी के संग्रहण हेतु व्यय आवेदक को देना चाहिये था। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा काफी विस्तृत जानकारी चाही गई है तथा यह जानकारी विभाग में रखे जाने का नियम नहीं है। किसी कर्मचारी के पति अथवा पत्नी अलग–अलग विभाग में पदस्थ रहते हैं, अतः इस प्रकार की जानकारी की प्रमाणिकता हुये बिना कोई एक विभाग जानकारी नहीं दे सकता। आवेदक को स्पष्ट करना चाहिये था कि वह किस दंपत्ति विशेष की जानकारी चाहता है तथा यदि वह दंपत्ति पति अथवा पत्नी शिक्षा विभाग में ही पदस्थ हैं तो संबंधित

कर्मचारी के कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने विभाग के एवं विभाग के बाहर अन्य विभाग में पदस्थ दंपत्तियों (पति/पत्नी) की जानकारी एकत्रित कर आवेदक को प्रदान करे। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी वही जानकारी प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है, जो कि उसके कार्यालय में या उसके अधीन उपलब्ध हो। अतः चूँकि माँगी गई जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रमाणित रूप से उपलब्ध होना नहीं पाया जाता, अतः जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। यह अवश्य है कि जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में आवेदक को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिये था। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा डाक एवं स्टेशनरी व्यय आदि माँगा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः जिला शिक्षा अधिकारी को सचेत किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ही किया जावे।

3/ आवेदक की शिकायत पर किसी प्रकार की कार्यवाही आवश्यक न होने से नस्तीबद्ध की जाती है। यदि आवेदक किसी दंपत्ति विशेष, जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही एक ही कार्यालय में पदस्थ हों की जानकारी चाहता है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संबंधित कार्यालय के सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन पत्र देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त